संख्या: 26 /2017 /1773 / सत्रह-म-2017,।।।-2(6)/2006

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,
लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग **लखनऊ दिंनाक27 सितम्बर, 2017**

विषय **सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्या- 742/14-27-सिं-3-01 म/14 दिनांक 27 मार्च 2015 में जनपद- चन्दौली में उल्लिखित " मोकवा" जलाशय का नाम संशोधित करते हुए " भोका बांध (बन्धी)" किये जाने के सम्बंध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सिंचाई विभाग एवं जल संसाधन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-742/14-27-सिं0-3-01म/14 दिनांक 27 मार्च 2015 के क्रम में निर्गत मत्स्य विभाग के शासनादेश संख्या-504/सत्रह-म-2015-10-।।।-2(6)/2006 दिनांक 16 अप्रैल 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में सिंचाई विभाग के 14 जलाशयों को मछली पालन के उददेश्य से कतिपय शर्तो के साथ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम को हस्तानान्तरित किया गया था, जिसमें चन्दौली जनपद में मोकवा जलाशय का नाम क्रमांक -14 पर अंकित किया गया है ।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के पत्र संख्या- 315/म0वि0नि0/दिनांक26-05-2016 में की गयी अपेक्षानुक्रम में अवगत कराना है कि सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 के शुद्धि पत्र दिनांक 06-09-2017 द्वारा शासनादेश दिनांक 27-03-2015 के क्रमांक -14 पर अंकित "मोकवा" जलाशय के स्थान पर "भोका बांध (बन्धी)" करते हुए अपने शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित कर दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के शुद्धि पत्र दिनांक 06-09-2017 में किये गये संशोधन के क्रम में मत्स्य विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 504/सत्रह-म-म-2015-10-।।।-2(6) /2006 दिनांक 16 अप्रैल 2015 के क्रमांक- 14 में जनपद-चन्दौली में उल्लिखित " मोकवा" जलाशय का नाम संशोधित करते हुए " भोका बांध" (बन्धी) किया जाता है ।

4- अग्रेतर मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सिचाई विभाग के जो जलाशय मत्स्य विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था में है, उनकी नीलामी से प्राप्त आय तथा निर्धारित शर्तानुसार सिंचाई विभाग को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

दी गयी रायल्टी की धनराशि से भी सिंचाई विभाग को अवगत कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-504/सत्रह-म-2015-10-।।।-2(6) /2006 दिनांक 16 अप्रैल 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं शेष शर्तें /प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी ।

संलग्नक -यथोपरि ।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- /2017/ (1)/ सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त ,उ0प्र0 ।
4- समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
5- संयुक्त निदेशक मत्स्य , मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य महाप्रबन्धक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
7- समस्त उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य उ0प्र0 ।
8- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http:// shasanadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।